भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3066

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

बांधों और जलाशयों का सुरक्षा मूल्यांकन

3066. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश के मेघाद्रिगेड्डा, रायवाड़ा, तातीपुडी और मुदासरलोवा जलाशयों की स्थिति क्या है और प्रत्येक राज्य में निर्दिष्ट बांधों की कुल संख्या की तुलना में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत ऐसे बांधों और जलाशयों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिनका सुरक्षा मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने मेघाद्रिगेड्डा, रायवाड़ा, तातीपुडी और मुदासरलोवा जलाशयों में अपवाह मार्ग की मरम्मत, संरचनात्मक संपरीक्षा या पुनर्वास का कोई कार्य शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जलाशयों में से प्रत्येक में इस प्रकार की मरम्मत न होने के कारण वाष्पीकरण और कम हुई भंडारण क्षमता के कारण होने वाली जल हानि सहित अनुमानित वार्षिक जल हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित बांध सुरक्षा मूल्यांकनों के लिए सरकार के दिसंबर 2026 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, देशभर में तथा विशेष रूप से विशाखापटनम के संदर्भ में शेष सुरक्षा मूल्यांकनों और अपवाह मार्ग संपरीक्षा को किस समयावधि तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): बांधों के प्रचालन, अनुरक्षण और निगरानी सहित उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित बांध स्वामियों की होती है, जो मुख्य रूप से राज्य सरकार और केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 31 के अनुसार, प्रत्येक निर्दिष्ट बांध स्वामी को अपनी बांध सुरक्षा इकाई के माध्यम से वार्षिक मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात् निरीक्षण करना होता है और संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। एसडीएसओ इन रिपोर्टों की जांच करता है और बांध की सुरक्षा स्थिति,

पाई गई कमियों और आवश्यक उपचारात्मक उपायों, यदि कोई हो, के बारे में अपनी टिप्पणियों संबंधित बांध स्वामियों को सूचित करता है।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में 6,598 पूर्ण और कार्यकारी निर्दिष्ट बांधों में से 6,566 के संबंध में वर्ष 2026 के लिए मानसून-पूर्व निरीक्षण पूर्ण हो चुके हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में उल्लिखित है।

आंध्र प्रदेश में मेघाद्रीगेड्डा, रायवाड़ा और तातीपुडी जलाशयों सहित सभी 150 विनिर्दिष्ट बांधों के लिए मानसून-पूर्व निरीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा, मुदासरलोवा बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत विनिर्दिष्ट बांधों की श्रेणी में नहीं आता है। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और यह जलाशय प्राथमिक रूप से पेयजल स्रोत के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 38 के तहत, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध का विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल के माध्यम से एक व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन (सीडीएसई) कराना अपेक्षित है। एनडीएसए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल ने अब तक 1,090 विनिर्दिष्ट बांधों का निरीक्षण किया है और 468 बांधों के लिए सीडीएसई रिपोर्ट पूर्ण हो चुकी है।

(ख): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मेघाद्रीगेड्डा, रायवाड़ा और तातीपुडी जलाशयों के संबंध में स्पिलवे की मरम्मत, संरचनात्मक पुनर्वास अथवा पुनर्वास कार्य नहीं किए गए हैं।

(ग): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, संबंधित जलाशयों में वाष्पीकरण और रिसाव के कारण हुआ नुकसान जिससे वार्षिक तौर पर जल का नुकसान निम्नानुसार है -

क्र.सं.	परियोजना	वार्षिक तौर पर वाष्पीकरण द्वारा हुआ नुकसान (टीएमसी)	रिसाव के कारण हुआ नुकसान (टीएमसी)
1.	मेघाद्रीगेड्डा	0.082	0.024
2.	रायवाड़ा	0.53	0.16
3.	तातीपुडी	0.157	0.094

(घ): बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुसार, व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन की समय-सीमा दिसंबर 2026 है।

अनुलग्नक

"बांधों और जलाशयों का सुरक्षा मूल्यांकन" के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 3066 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण की गई और कार्यकारी निर्दिष्ट बांधों की कुल संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धर्मा पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार मानसून पूर्व 2026 के दौरान निरीक्षण किए गए निर्दिष्ट बांधों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	150	150
2	अरुणाचल प्रदेश	5	4
3	असम	3	3
4	बिहार	32	32
5	छत्तीसगढ़	317	315
6	गोवा	6	6
7	गुजरात	524	523
8	हरियाणा	3	3
9	हिमाचल प्रदेश	26	25
10	झारखंड	68	67
11	कर्नाटक	232	232
12	केरल	65	65
13	मध्य प्रदेश	1370	1369
14	महाराष्ट्र	2713	2692
15	मणिपुर	4	4
16	मेघालय	11	9
17	मिजोरम	3	3
18	नागालैंड	1	1
19	ओडिशा	219	219
20	पंजाब	15	15
21	राजस्थान	313	313
22	सिक्किम	9	7
23	तमिलनाडु	123	123
24	तेलंगाना	164	164

25	त्रिपुरा	1	1
26	उत्तर प्रदेश	139	139
27	उत्तराखंड	33	33
28	पश्चिम बंगाल	36	36
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	3	3
30	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	8	8
31	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	2	2
	कुल	6598	6566
